रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2019, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1941

No. 24] NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2019, SATURDAY/SRAVANA 13—SRAVANA 19, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 4
## PART II—Section 4

### रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
### Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

**रक्षा मंत्रालय**

**(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)**

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

**का.नि.आ. 71**.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, उच्च प्रौद्योगिकी जलयान कार्यक्रम, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, में समूह 'ग' (बहु कार्य कर्मचारीवृन्द) के पदों पर भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, उच्च प्रौद्योगिकी जलयान कार्यक्रम, बहु कार्य कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, उच्च प्रौद्योगिकी जलयान कार्यक्रम, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, बहु कार्य कर्मचारीवृन्द (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 के -

(i) नियम 3 में "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" जहां जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर' शब्द रखा जाएगा।

(ii) अनुसूची में,-

"2. Two officers of the status of Section Officer or equivalent, one from the Headquarter Advanced Technology Vessels Programme and another from the outside work centre of Headquarter, other than where the recruitment or confirmation is taking place for Multi-Tasking Staff. — Member.".

[F. No. 1/A/002/01/ATVP/Pers/69/S/D (R&D)]

HARSHA RANI, Under Secy.

**Foot Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India, vide (notification number) S.R.O. 47, dated 03rd July, 2013.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

**का. नि. आ. 72.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय के अधीन स्थापनों में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (संग्रहालय और अभिलेखागार) के समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय के अधीन स्थापनों में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (संग्रहालय और अभिलेखागार) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान**. – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि**. – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता. – वह व्यक्ति** ,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**. – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**. – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| वरिष्ठ तकनीकी सहायक (संग्रहालय और अभिलेखागार) | * 01 (एक) (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रु.) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | संयुक्त पद्धति - प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) /प्रोन्नति द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **संयुक्त पद्दति - प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति द्वारा** :<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी:-<br>(क) (i) जो नियमित आधार पर अपने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण करते हैं, या<br>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य में छह वर्षों की नियमित सेवा की है, तथा | **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (प्रोन्नति की दशा में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :**<br>(1) प्रधान निदेशक (कार्मिक) मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष<br>(2) निदेशक (कार्मिक) मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय - सदस्य<br>(3) अवर सचिव रक्षा मंत्रालय - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव हो :<br>(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिलेखागार या इतिहास में डिग्री या रसायन विज्ञान मुख्य विषय के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री;<br>(ii) संग्रहालय/संरक्षण प्रयोगशाला में कलाकृतियों के जीर्णोदधार और संरक्षण में न्यूनतम दो वर्षो का व्यवहारिक अनुभव।<br>**टिप्पण 1** : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300रु.) के साथ, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन स्थापनों के ऐसे विभागीय रसायन सहायक (संग्रहालय और अभिलेखागार) श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति विचार करने के लिए शैक्षणिक और अर्हताएं रखते हो, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा, यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।<br>**टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर – बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी।<br>**टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[फा. सं. 15814/एसटीए (एस एण्ड ए)(एनडीए)/भ. नि./आईडीएस/कार्मिक/197/र. (नि.)/2019]

एस. एस. एस. शर्मा, निदेशक (स्था. एवं सी. पी.)

New Delhi, the 6th August, 2019

**S.R.O. 72.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' post of Senior Technical Assistant (Museum and Archives), in the Establishment under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Establishment under Headquarters Integrated Defence Staff, Senior Technical Assistant (Museum and Archives) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix or pay scale.** — The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** — The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix or pay scale | Whether selection or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Senior Technical Assistant (Museum and Archives) | 1(One).* (2019) *(Subject to variation dependent on work load) | General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 to 112400) | Not applicable | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | By Composite method – Deputation (Including short term contract)/Promotion |

| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Composite method [Deputation (Including Short Term Contract) plus Promotion]**:<br>Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or institute or research institution:-<br><br>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or<br>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200 to 92300) or equivalent in the parent cadre/department; and<br><br>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-<br>(i) Degree in Archaeology or History or a degree in Bachelor of Science with Chemistry as main subject from a recognised University;<br>(ii) minimum two years practical experience of restoration and conservation of museum artefacts in museum or conservation laboratory.<br><br>**Note 1:** The departmental Chemical Assistant (Museum and Archives) of Establishments under Headquarters Integrated Defence Staff in the Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200 to 92300) with six years regular service in the grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered alongwith outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.<br>**Note 2:** Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation | **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (in case of promotion) consisting of :**<br>(1) Principal Director (Pers), Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence - Chairman;<br><br>(2) Director (Pers), Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence - Member;<br><br>(3) Under Secretary, Ministry of Defence - Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary |

| | | |
|---|---|---|
| (Including Short Term Contract) in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.<br>**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. | | |

[No. 15814/STA (M&A)(NDA)/RRs/IDS/PERS/ 197/D(Apptts)/2019]

S.S.S. SARMA, Director (Estt & CP)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

**का. नि. आ. 73.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय आर्डनेंस फैक्ट्री, पर्यवेक्षक (अतकनीकी) और टेलीफोन ऑपरेटर श्रेणी-II समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय आर्डीनेंस फैक्ट्री, पर्यवेक्षक (अतकनीकी) और टेलीफोन ऑपरेटर श्रेणी-II समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय आर्डीनेंस फैक्ट्री, पर्यवेक्षक(अतकनीकी) और टेलीफोन ऑपरेटर श्रेणी-II समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 में, -

(क) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

**"3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।,"

(ख) अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 1. के सामने, पर्यवेक्षक (अतकनीकी) पद से संबंधित

(क) स्तम्भ (4) में, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

| "वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|
| (4) |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रुपए 25500-81100)" |

(ख) स्तम्भ (11)- में, खण्ड (ii) के लिए, निम्नलिखित खण्ड को रखा जाएगा अर्थात्:-